रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221352
CG-DL-E-26082020-221352

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942
No. 426] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 532(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा निर्धारित जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 को अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदित उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2011 में एतद्द्वारा आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. (1) इन विनियमों को जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा;

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में इस पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2011 में, अनुसूची में:–

(i) शीर्षक ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशा.) के श्रेणी–I पदों हेतु भर्ती नियम'' के अंतर्गत, क्रम संख्या 1 के सामने, प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित, कॉलम 12 में, की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः –

''ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ रू. 36500.88700/– के वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक पद तथा जिसने अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हा से पदोन्नति।''

(ii) शीर्षक ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में प्रशासन विभाग (पीएण्डआईआर–एचआरडी प्रभाग) के श्रेणी–I पदों हेतु भर्ती नियम'' के अंतर्गत,:–

(क) क्रम संख्या 1 के सामने, कार्मिक अधिकारी के पद से संबंधित कॉलम 12 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ रू. 36500.88700/– के वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक पद तथा जिसने अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हा से पदोन्नति।''

(ख) क्रम संख्या 2 के सामने, श्रम कल्याण अधिकारी के पद से संबंधित कॉलम 12 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः –

''ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ रू. 36500.88700/– के वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक पद तथा जिसने अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हा से पदोन्नति।''

(iii) शीर्षक ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में वित्त विभाग के श्रेणी–I पदों हेतु भर्ती नियम'' के अंतर्गत, क्रम संख्या 1 के सामने, लेखा अधिकारी के पद से संबंधित कॉलम 12 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ रू. 36500.88700/– के वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक पद तथा जिसने अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हा से पदोन्नति।''

(iv) शीर्षक ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में वित्त विभाग के अंतर्गत प्रबंधन सेवाएं प्रभाग के श्रेणी–I पदों हेतु भर्ती नियम'' के अंतर्गत, क्रम संख्या 1 के सामने, अधीक्षक (एमएस) के पद से संबंधित कॉलम 12 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः –

''ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ रू. 40000–140000/– के वेतनमान में प्रोग्रामर पद से पदोन्नति

अथवा

ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ रू. 36500.88700/– के वेतनमान में एमएस प्रभाग में प्रोग्राम सहायक पद के श्रेणी–III कर्मचारी तथा जिसने अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हा से पदोन्नति।''

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियमों को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 43 (अ) दिनांक 21 जनवरी, 2011 *के तहत* प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं के *तहत* संशोधित किया गया था:—

(i) सा.का.नि. सं. 889 (अ) दिनांक 19 नवंबर, 2015;

(ii) सा.का.नि. सं. 919 (अ) दिनांक 01 दिसंबर, 2015;

(iii) सा.का.नि. सं. 150 (अ) दिनांक 08 फरवरी, 2016;

(vi) सा.का.नि. सं. 652 (अ) दिनांक 01 जुलाई, 2016;

(v) सा.का.नि. सं. 662 (अ) दिनांक 05 जुलाई, 2016;

(vi) सा.का.नि. सं. 1502 (अ) दिनांक 11 दिसंबर, 2017;

(vii) सा.का.नि. सं. 1100 (अ) दिनांक 13 नवंबर, 2018; और

(viii) सा.का.नि. सं. 6 (अ) दिनांक 04 जनवरी, 2019

[फा. सं. पीआर–24021/1/2020 पीई–I]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

G.S.R. 532(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020, made by the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force from the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.

2. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in the Schedule,-

(i) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (MAIN ADMN.) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial

number 1, relating to the post of Administrative Officer, in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 36500-88700/- with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman."

(ii) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF ADMINISTRATION DEPARTMENT (P&IR-HRD DIVISION) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST",-

(a) against serial number 1, relating to the post of Personnel Officer, in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 36500-88700/-with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman."

(b) against serial number 2, relating to the post of Labour Welfare Officer, in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 36500-88700/- with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman."

(iii) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF FINANCE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial number 1, relating to the post of Accounts Officer in column 12, for entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 36500-88700/- with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman."

(iv) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MANAGEMENT SERVICES DIVISION UNDER FINANCE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial number 1, relating to the post of Superintendent(MS), in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion from Programmer, in the scale of pay of Rs. 40000-140000/- with 3 years regular service in the grade

OR

Promotion from Programme Assistant Class-III employees in the scale of pay of Rs. 36500-88700/- in the MS division with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman."

Footnote : The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, *vide* number G.S.R. 43(E), dated the 21st January, 2011 and was subsequently amended *vide* number-

(i) G.S.R. 889(E), dated the 19th November, 2015;
(ii) G.S.R. 919(E), dated the 01st December, 2015;
(iii) G.S.R. 150(E), dated the 08th February, 2016;
(iv) G.S.R. 652(E), dated the 1st July, 2016;
(v) G.S.R. 662(E), dated the 5th July, 2016;
(vi) G.S.R. 1502(E), dated the 11th December, 2017;
(vii) G.S.R. 1100(E), dated the 13th November, 2018; and
(viii) G.S.R. 6(E), dated the 4th January, 2019

[F. No. PR-24021/1/2020 PE-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA